

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/234

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रधानमन्त्री के संग
अभियान-2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रुहड़ा की
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 553
में बेरा नाथ पुत्र पि. लाल पुत्र है जबकि वास्तविक
नाम मन्तर लाल पुत्र है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(मन्तर)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रुहड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के
खाता संख्या 553 में प्रार्थी का नाम मन्तर दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मन्तर लाल है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी रुहड़ा व भू0अ0नि0 मन्तर लाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम रुहड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 553 में प्रार्थी का
नाम मन्तर के बजाय मन्तर लाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रुहड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 खाता
संख्या 553 में दर्ज प्रार्थी का नाम मन्तर के स्थान पर मन्तर लाल संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)